न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 80 / 2015
सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

वनाम

1. इलियास
2. कासम
3. फारूख पिसरान चाव खाँ जाति मेव निवासी चिनावडा तहसील पहाडी
4. मकसूदन पुत्री चावं खां पत्नि रफीक जाति मेव निवासी झांडा तहसील पुन्हाना हरियाणा
5. जुहरी पत्नि चाव खाँ जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी

असल प्रतिवादी

6. कुर्शीद पुत्र मुंशी
7. नबाब
8. सहाबू पिसरान रूस्तम जाति मेव निवासी चिनावडा तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी
श्री नसरू खाँ वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5

दिनांक :– 06 / 05 / 2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खाता संख्या 57 के खसरा नम्बर 296 / 0.18, 305 / 0.66, 327 / 0.57, 386 / 282 / 0.03, 180 / 1.11 हैक्टर, खाता संख्या 58 के खसरा नम्बर 180 / 0.28, 281 / 0.41, 295 / 0.15, 303 / 0.40, 304 / 0.31, 322 / 0.45, 421 / 0.28 हैक्टर, खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 374 / 0.29, 375 / 0.27, का 1 / 2 हिस्सा खाता संख्या 107 के खसरा नम्बर 281 / 0.43, 292 / 0.23, 294 / 0.23, 303 / 0.40, 304 / 0.32, 322 / 0.49, 421 / 0.28 हैक्टर , खाता संख्या 176 के आराजी खसरा नम्बर 374 / 0.09, का 1 / 2 हिस्सा कुल किता–22 साविक खसरा नम्बर 15 रकबा 7.90 हैक्टर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित हैं । प्रतिवादीगण संख्या 6,7,8 वहैसियत वादी है। लेकिन वे दावा दायरी न्यायालय में हाजिर नहीं आये है इसलिए उन्हे तरतीवी प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता व 5 का पति चाव खां फौत हो गया है इसलिए इन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 एक ही परिवार के सदस्य है एवं बुजुर्ग निजरू के वारिसान है एवं समस्त रकबा पैतृक दादा निजरू के कब्जे काश्त खातेदारी का है। दादा निजरू के दो लडके मुंशी व चाव खां थे इनके वारिसान मुंशी के वादी व तरतीवी प्रतिवादी एवं चावं खां के प्रतिवादीगण असल है जो मुताबिक कानून साविक नम्बर 15 कुल रकबा 7.90 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 156/0.11 जो कि दादा निजरू का था यह नम्बर चाव खां के हिस्से में आया था जो चाव खां ने अजीम पुत्र राजू जाति मेव निवासी चिनावडा को बेच दिया था। इस प्रकार रकबा 7.90 व 0.11 कुल 8.01 हैक्टर हुआ जिसमें वादी पक्ष व प्रतिवादीगण असल पक्ष निस्फ–निस्फ हिस्सा यानि 4.01, 4.00 हैक्टर के हकदार हुये । प्रतिवादीगण असल के पिता आराजी खसरा नम्बर 156/0.11 का बेचान भी कर दिया फिर भी आज चांव खां के खाते में 4.08 हैक्टर रकबा दर्ज है एवं वादी पक्ष ने तो हमारे पिता मुंशी ने ना ही हम तीनों भाईयों ने जमाबन्दी हाल के कॉलम नम्बर 5 में दर्ज किसी भी नम्बर का कोई भी हिस्सा पूर्व में बेचान नहीं किया है। हमारे हिस्से में कॉलम नं0 5 में जो नम्बर व हिस्सा दर्ज है वही हमारे नाम है शेष कोई नम्बर कभी नहीं थे फिर भी हमारे हिस्से में मात्र 3.82 हैक्टर दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 295/0.51 हैक्टर में से 0.04 एयर में हमारा सामलात कुंआ बना हुआ है एवं इस नम्बर में हम दोनो फरीकेन यानि मुंशी व चाव खां का कब्जा है एवं शुरू से ही मनबट हुये पडे है एवं शुरू से ही हम दोनो का कब्जा काश्त है। जिसमें 0.18 एयर रकबा मुंशी एवं शेष 0.33 एयर रकबा चाव खां के खाते में है लेकिन चुकता सामिल नम्बर 51 एयर अकेले चाव खां के खाते में दर्ज है जिससे उसका रकबा फालतू बैठता है और यह खसरा नम्बर 295 में 0.51 में से हमारे कब्जे काश्त 0.18 एयर रकबा अगर हमारे खाते में जोड दिया जाता है तो हमारा रकबा बराबर हो जाता है। इस प्रकार दावा वादी काबिले डिक्री है। वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण असल ने दिनांक 28/08/2015 को खातेदारी हमारे नाम कराने को कहा तो उसने खुलेआम मना कर दिया एवं ऐलानिया धमकी दी कि मैं आराजी मुतदाविया को किसी कीमत पर नहीं देगे एवं ज्यादा जिद करोगे तो हम सालिम रकबा को बेच देगे एवं जबरस्ती व्यक्तियों को कब्जा दे देगे यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी पक्ष ऐसी अपूर्णीय क्षति जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से न की जा सकेगी । विधि वजह वादी जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी ताफैसला मुकदमा असल प्रतिवादीगण को पावन्द करा पाने का अधिकारी है। कि वे कब्जे काश्त वादी में किसी प्रकार की मजाहमत ना करे एवं रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। विनाय मुखास्मत देने धमकी दिनांक 28/08/2015 को पैदा हुयी। यह घोषित किया जावे कि सालिम आराजी किता–13 रकबा 7.90 हैक्टर पक्षकारान के बुजुर्ग निजरू का है जिसके मुंशी , चावखां दो लडके है और पक्षकारान इन्ही दोनो के वारिसान है इसलिए कानूनन मुंशी व चावखां दोनो भाईयों के वारिसान निस्फ–निस्फ हिस्से के अधिकारी है और आराजी खसरा नम्बर 295/0.51 जो सालिम चाव खां के नाम चला आ रहा है लेकिन मौकै पर 0.18 एयर रकबा मुंशी के वारिसान के कब्जे में है उक्त 0.18 एयर रकबा मुंशीन के वारिसान के खाते में जाने पर ही इनका रकबा बराबर होता है। इस प्रकार वादी पक्ष उक्त 0.18 एयर रकबा अपने नाम करा पाने का अधिकारी है। आराजी खसरा नम्बर 295/0.51 में से 0.18 एयर से प्रतिवादीगण असल के पिता चाव खां के नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
नगर (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये। जबाब इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण वादी के पिता मुंशी एवं प्रतिवादीगण के पिता चाव खां खास भाई थे वादी के पिता का देहान्त आज से करीब 14 वर्ष पूर्व व प्रतिवादीगण के पिता का देहान्त आज से करीब 11 वर्ष पूर्व हो चुका है जो पूर्व में आराजी मुत0 को सम्मलित रूप से सामिल रहकर काश्त करते रहे और जब उनका सामलात रूप से काश्त करना संभव नहीं रहा तो आज से करीब 40 वर्ष पूर्व उन्होने आराजी को मनबट के आधार पर बांट लिया और पृथक–पृथक नम्बर बांटकर तभी से अलग खाते कराकर पृथक–पृथक रूप से राज लगान कायम करते रहे खाता संख्या 58 में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण के पिता चाव खां के हिस्से में आई और खाता संख्या 107 में वर्णित आराजी व अन्य कृषि भूमि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता मुंशी के हिस्से में आई खाता संख्या 57 में वर्णित भूमि को वह वाहिस्सा बराबर एवं खाता संख्या 106 के निस्फ हिस्से की भूमि को वह वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा वादी के पिता मुंशी व प्रतिवादीगण के पिता चाव खां द्वारा खसरा नम्बर 156/0.11 हैक्टर भूमि को उन्होने अपनी घरेलु आवश्यकताओ की वजह से अजीम पुत्र राजू निवासी चिनावडा को जरिये बयनामा सम्मलित रूप से बेचान कर दिया जिसको पूर्व में वह दोनो वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते थे और दोनो का ही नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अंकित था इस नम्बर का बेचान प्रतिवादीगण के पिता ने अकेले नहीं किया बाबा निजरू के वारिसान वादी तथा तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता मुंशी एवं प्रतिवादीगण के पिता चाव खां ने आराजी मुत0 एवं अपनी अन्य आराजी का बंटवारा अपने जीवन काल में ही आज से करीब 40 वर्ष पूर्व कर लिया था और वह दोनों मुताबिक बंटवारा अपनी उक्त कृषि भूमि को काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात शेष रही सम्मलित भूमि खाता संख्या 57 में वर्णित एवं खाता संख्या 106 में वर्णित भूमि का बंटवारा वादी तरतीवी प्रतिवादी एवं असल प्रतिवादीगण के बीच दिनांक 28/06/2006 को न्यायालय श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय , कामाँ द्वारा वाद संख्या 153/05 खुर्शीद बनाम सुब्बा वगे0 के द्वारा डिक्री पारित कर कर दिया गया ओर उसी दिन हम पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा किसी किस्म का शेष नहीं रहा है। फिर भी वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण यह दावा गलत तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में पेश किया है जो काबिले खारिजी है। वादी ने खाता संख्या 58 में अंकित खसरा नम्बर 295/0.51 हैक्टर बांके ग्राम चिनावडा के संबन्ध में गलत तथ्य अंकित किये है कि इस खसरा नम्बर में सामलाती कुंआ बना हुआ है इस खसरा नम्बर में कभी भी कोई कुंआ नहीं रहा है और वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता का इस नम्बर में से 0.18 हैक्टर भूमि पर कोई कब्जा नहीं था तथा उसे उनके खाते में जोड दिया जावे यह तथ्य भी गलत है। इस खसरा नम्बर पर मृत्तक मुंशी व चाव खां के बंटवारे के बाद वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता का कोई संबन्ध नहीं रहा है । बंटवारे में यह नम्बर प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में आया था और बंटवारे के बाद से इस पूरे नम्बर पर प्रतिवादीगण के पिता अपने जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण सम्पूर्ण खसरा नम्बर पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । इस समय मौके पर हमने सरसो व बरसम की फसल बो रखी है। इस खसरा नम्बर में कोई कुंआ नहीं बना हुआ है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी से बंटवारे के बाद से किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

का कोई संबन्ध नहीं रहा है लेकिन फिर भी उन्होने मनगढन्त तथ्य अंकित कर प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने की नियत से तंग व परेशान करने की नियत से यह दावा पेश किया है। जो मैन्टेनेबिल नहीं है और काबिले खारिज भी है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा प्रतिवादीगण को हर्जा खास 5000/–रूपये वादी से दिलाये जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुत0 पीछे से मुंशी व चाव खां के पिता निजरू की है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया मुंशी के वारिसान (वादी) निजरू की आराजी में कानूनन 1/2 हिस्सा के हकदार है।

.....वादी

तनकी संख्या 3 :– आया वादी निजरू की समस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर डिक्री करा पाने के अधिकारी है।

.....वादी

तनकी संख्या 4 :– आया वादी जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द करा पाने के मुस्तहक है।

.....वादी

तनकी संख्या 5 :– आया प्रतिवादीगण के पास फालतू रकबा नहीं है और वादी प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 6 :– आया आराजी खसरा नम्बर 295/0.51 प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में आया हो और उस पर कब्जा काश्त हो।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 7 :– आया आराजी खसरा नम्बर 295/0.51 में कोई कुंआ नहीं है और वादी का किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 8 :– आया वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता ने आज से करीब 40 वर्ष पूर्व आराजी का बंटवारा कर लिया है और पृथक–पृथक नम्बर बांटकर बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है तथा बाद में शेष आराजी का बंटवारा न्यायालय द्वारा किया जा चुका है।

.....प्रतिवादीगण

9 :– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 सुब्बा, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 23/03/2021 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 इलियास ,डी0डब्लू 2 खुर्शीद, के शपथ पत्र पेश किये अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2060–63 खाता संख्या 57 , नकल जमाबन्दी 2060–63 खाता संख्या 58, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060–63 खाता संख्या 107, जमाबन्दी सम्वत 2060–63 खाता संख्या 176, नकल दाखिल खारिज संख्या 232 और असल बयनामा तारीखी 23/03/1984 पेश

उपजिला अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

किये । प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावा के समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय , डिक्री दिनांक 28/06/2006 न्यायालय एस0डी0ओ0 कामां नकल अर्जी दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा, नकल प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 जा0दी0 नकल मौका पर्चा पेश किये।

बहस वकील फरीकेन सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि वादी, प्रतिवादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है जो पूर्व में सम्मलित रहकर काश्त करते थे और जब सम्मलित रहकर काश्त करना सम्भव नहीं रहा तो वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके पिता ने अपने जीवन काल में ही अलग कर दिया था। पिता द्वारा किये गये मनबट बंटवारे के बाद मुताबिक कब्जे व काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा पेश किया जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारों की सहमति द्वारा दिनांक 28/06/2006 को डिक्री किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 295/0.51 प्रतिवादीगण की आराजी है। वादी द्वारा स्वयं सहमति दी गई थी। अगर फिर भी कोई आपत्ति थी। तो वादी को दिनांक 28/06/2006 की डिकी के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी। वादी का दावा सी0पी0सी0 की धारा 11 से बाधित है। अतः खारिज योग्य है।

वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी मुत0 पीछे से मुंशी व चाव खां के पिता निजरू की है।

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया मुंशी के वारिसान (वादी) निजरू की आराजी में कानूनन 1/2 हिस्सा के हकदार है।

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया वादी निजरू की समस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर डिक्री करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकीया समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक दावा एवं जबाब दावा यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है कि आराजी मुत0 पीछे से मुंशी व चाव खां के पिता निजरू की है। वादी, प्रतिवादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है जो पूर्व में सम्मलित रहकर काश्त करते थे और जब सम्मलित रहकर काश्त करना सम्भव नहीं रहा तो वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके पिता ने अपने जीवन काल में ही अलग कर दिया था। पिता द्वारा किये गये मनबट बंटवारे के बाद मुताबिक कब्जे व काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा पेश किया जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारों की सहमति द्वारा दिनांक 28/06/2006 को डिक्री किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 295/0.51 प्रतिवादीगण की आराजी है। वादी द्वारा स्वयं सहमति दी गई थी। वादी को फिर भी कोई आपत्ति थी। तो डिकी दिनांक 28.06.2006 के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी। वादी को कोई भी अनुतोष अपील के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते है। अतः मुंशी के वारिसान (वादी) निजरू की आराजी में कानूनन 1/2 हिस्सा के हकदार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है। ना ही वादी निजरू की समस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर डिक्री करा पाने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकीया विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया वादी जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द करा पाने के मुस्तहक है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1,2,3,4 वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करा पाने का मुस्तहक नहीं है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया प्रतिवादीगण के पास फालतू रकबा नहीं है और वादी प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

तनकी संख्या 6 :– आया आराजी खसरा नम्बर 295/0.51 प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में आया हो और उस पर कब्जा काश्त हो।

तनकी संख्या 7 :– आया आराजी खसरा नम्बर 295/0.51 में कोई कुंआ नहीं है और वादी का किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है।

तनकी संख्या 8 :– आया वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता ने आज से करीब 40 वर्ष पूर्व आराजी का बंटवारा कर लिया है और पृथक–पृथक नम्बर बांटकर बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है तथा बाद में शेष आराजी का बंटवारा न्यायालय द्वारा किया जा चुका है।

उक्त तनकीया समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त तनकीयों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। आराजी मुत0 पीछे से मुंशी व चाव खां के पिता निजरू की है। वादी, प्रतिवादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है जो पूर्व में सम्मलित रहकर काश्त करते थे और जब सम्मलित रहकर काश्त करना सम्भव नहीं रहा तो वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके पिता ने अपने जीवन काल में ही अलग कर दिया था। पिता द्वारा किये गये मनबट बंटवारे के बाद मुताबिक कब्जे व काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा खुर्शीद बनाम सुब्बा पेश किया जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारों की सहमति द्वारा दिनांक 28/06/2006 को डिक्री किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 295/0.51 प्रतिवादीगण की आराजी है। वादी द्वारा स्वयं सहमति दी गई थी। प्रतिवादी इसे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः उक्त तनकीया वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

9 दादरसी :– तनकी संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण काबिले खारिज है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहा है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner